नियम व शर्ते

1. **ई–तानाबाना** प्लेटफार्म का उपयोग समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा किया जा सकता है, जिसका प्रयोग उच्चकोटि के हैण्डलूम उत्पादों के निःशुल्क विपणन हेतु किया जायेगा। उक्त वेबसाइट का उद्देश्य निःशुल्क ई–व्यापार की सुविधा उपलब्ध कराना है।
2. सभी विक्रेताओं से अनुरोध है कि मात्र हैण्डलूम उत्पाद ही इस प्लेटफार्म पर अपलोड करे। हैण्डलूम के उत्पादों पर विशेष रूप से हैण्डलूम मार्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा। किसी समिति द्वारा गैर–हैण्डलूम उत्पाद की बिक्री हेतु उक्त प्लेटफार्म का उपयोग करते पाये जाने पर उसे इस प्लेटफार्म से निलम्बित किया जा सकता है और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
3. प्रभावी विपणन हेतु समस्त मॉग एवं आपूर्ति की प्रक्रिया केता एवं विक्रेता के मध्य सीधे सुनिश्चित की जायेगी। इस प्लेटफार्म पर केता द्वारा जो भी कय आदेश दिये जाते है और उसके कम में जो भी कार्यवाही की जायेगी वह सीधे केता–विक्रेता के बीच होगी और किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होगा । साथ ही समस्त विधिक मामलो की जिम्मेदारी केता एवं विक्रेता की होगी।
4. सिल्क उत्पादों हेतु समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा विशेष रूप से सिल्क मार्क का प्रयोग सुनिश्चित किया जायेगा।
5. समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा विभिन्न श्रेणी के उत्पादों के सम्बन्ध में किये गये दावों यथा–ताना–बाना, लम्बाई, चौडाई, रंग, डिजाइन, उत्पाद का प्रकार, रख–रखाव, मूल्य एवं आपूर्ति की सत्यता एवं प्रमाणिकता सुनिश्चित की जायेगी।
6. समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओ द्वारा समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करते हुए वेबसाइट पर प्रदर्शित की गयी समयावधि में ही केता को उत्पाद की आपूर्ति का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
7. केता द्वारा किया गया आनलाइन भुगतान , **कॉमन पूल एकाउण्ट** में जमा होगा। विक्रेता द्वारा केता के कय आदेश के अनुसार आपूर्ति करने के पश्चात एवं उत्पाद केता के पास पहुँच जाने के एक सप्ताह तक केता को इस सम्बन्ध मे आपत्ति दर्ज कराने का अधिकार होगा। एक सप्ताह तक केता द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नही कराये जाने की स्थिति में **कॉमन पूल एकाउण्ट** से विक्रेता के खाते में जमा धनराशि हस्तान्तरित करने की कार्यवाही सुनिशिचित की जायेगी। शिकायत सही पाये जाने की स्थिति में भुगतान नहीं करने का निर्णय अथवा धनराशि केता को वापस करने का निर्णय लिया जा सकता है।
8. विक्रेता द्वारा उत्पाद के डिस्पैच पैकेट की आर्डर स्लिप पर **ई–तानाबाना** प्लेटफार्म का उल्लेख करना अनिवार्य होगा। डिस्पैच करने के पश्चात और केता को उत्पाद पहुॅचने की सूचना का प्रमाण पोर्टल पर फीड करना आवश्यक होगा।

9. हैण्डलूम उत्पादों का मूल्य निर्धारित करते समय कच्चे माल की लागत, बुनकरों की उचित मजदूरी एवं अन्य उत्पादन लागत के साथ ही उचित लाभाशं को दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उत्पादों का मूल्य ग्राहक के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक प्रतीत न हो।

10. वेबसाइट पर प्रदर्शित किये गये विशिष्ट हैण्डलूम उत्पादों की समुचित उपलब्धता भी समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित की जायेगी।

11. उपभोक्ता की संतुष्टि हेतु उत्पाद के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की शिकायत का निस्तारण त्वरित गति से करने का दायित्व सम्बन्धित समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं का होगा।

12. समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओ द्वारा वेबसाइट पर विशिष्ट हैण्डलूम उत्पादों के सम्बन्ध में किये जा रहे दावों का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओ का ही होगा।

13. केता (उपभोक्ता) एंव विकेता (समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं) के हितो को दृष्टिगत रखते हुए भविष्य में नियम एवं शर्तो में संशोधन हेतु पुर्नविचार किया जा सकता है।

14. समितियों, मास्टर वीवर, प्रख्यात हैण्डलूम शोरूम धारक एवं निर्यात करने वाली संस्थाओं द्वारा उपरोल्लिखित नियम एवं शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में विभाग द्वारा पोर्टल से निलंबित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

15. उत्पाद के पार्सल हेतु शुल्क का वहन केता/विकेता द्वारा वेबसाइट पर निर्धारित नीति के अनुसार किया जायेगा।

16. ई–तानाबाना के संचालन हेतु गठित संचालन समिति द्वारा नियम शर्तो के अनुपालन सम्बन्धित समस्त निर्णय किये जायेगें, जो सभी को मान्य होगा।

17. उपर्युक्त नियम एवं शर्तो में आवश्यकतानुसार संशोधन किये जा सकते है, जो सभी को मान्य होगा।